उत्तराखण्ड शासन
राज्य सम्पत्ति विभाग
संख्या– 191 /xxxii/2009–02(3)(4)/2009
देहरादूनः दिनांक 26 नवम्बर, 2009

## अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक (संविलियन) नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

**उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2009**

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः– 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2009 है,

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 के उप नियम (1) का प्रतिस्थापन 2. उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 4(1) राजकीय विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालकों, जो राज्य सचिवालय में राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहनों के साथ दिनांक 31.12.2005 तक सम्बद्ध हैं, नियुक्त प्राधिकारी निर्धारित मानकों, जैसा कि वह विहित् करे, के अधीन आदेश द्वारा संविलियन करेंगे। इस प्रकार संविलयनित कर्मचारी संविलियन के आदेश की तिथि से संगत सेवा नियमावली में विहित अवधि तक परिवीक्षा में रहेंगे तथा परिवीक्षाकाल में कार्य सन्तोषजनक न होने पर वाहन चालक को सम्बन्धित विभाग/ निगम/स्वायत्तशासी संस्था को वापस कर दिया जायेगा। संविलियन के लिए चालक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा संविलियन की तिथि को वाहन चालक की आयु 50 वर्ष से अधिक न होगी। | (1) राजकीय विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालकों, जो राज्य सचिवालय में राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहनों के साथ दिनांक 31.12.2005 तक सम्बद्ध हैं, नियुक्त प्राधिकारी निर्धारित मानकों, जैसा कि वह विहित् करे, के अधीन आदेश द्वारा संविलियन करेंगे। इस प्रकार संविलयनित कर्मचारी संविलियन के आदेश की तिथि से संगत सेवा नियमावली में विहित अवधि तक परिवीक्षा में रहेंगे तथा परिवीक्षाकाल में कार्य सन्तोषजनक न होने पर वाहन चालक को सम्बन्धित विभाग/ निगम/स्वायत्तशासी संस्था को वापस कर दिया जायेगा। संविलियन के लिए चालक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा **तथा उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009 के जारी होने की तिथि दिनांक 28 जनवरी, 2009 को वाहन चालक की आयु 50 वर्ष से अधिक न होगी।** |

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या– 191 /xxxii/2009, तद्दिनांक,

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
3– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, लखनऊ।
4– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
5– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
7– निजी सचिव, मा0मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
8– समस्त निजी सचिव, मा0मंत्रीगण, उत्तराखण्ड ।
9– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल/ उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली।
10– मुख्य व्यवस्थाधिकारी/वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी/व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिंथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नियमावली की 200 प्रतियाँ साधारण गजट में प्रकाशित कराकर राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12– वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
13– प्रमुख लेखाकार/मुख्य लेखाकार, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14– वित्त अनुभाग–7/कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15– निदेशक,एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(के0एस0 बिष्ट)
उप सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No-..... dated..... for general information.

Government of Uttarakhand
State Estate Department
N0- 191 /XXXII/2009-02(3)/2009
Deharadun: Dated 26 November , 2009

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Uttarakhand State Estate Department Drivers (Absorption) Rules, 2002.

**The Uttarakhand State Estate Department Drivers Absorption (Forth Amendment) Rules, 2009**

**Short title and commencement**

**1.** (1) These rules may be called the **The Uttarakhand State Estate Department Drivers Absorption (Forth Amendment) Rules, 2009**

(2) They shall come into force at once.

**Amendment of sub-rule (1) in rule 4**

**2.** In the Uttarakhand State Estate Department Drivers (Absorption) Rules, 2002 for the existing sub-rule (1) of rule 4 set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be substituted, as follows, namely—

**Eligibility for Absorption**
**Rule 4**

| **Column-1**<br>**Existing Rule** | **Column-2**<br>**Rule as here by Substituted** |
|---|---|
| The Drivers of Government Departments/ Corporations/Autonomous Institution who are attached to the vehicles of the State Estate Department in the Secretariat upto 23.12.2001 or earlier shall be on probation for Two years. There after their merger shall be done as Drivers State Estate Department on their satisfactory service. The Driver shall be reverted back to the concerned Department/Corporation if his work is not satisfactory during probation period only the substantively appointed employee shall be concerned for merger. The Driver for the purpose of merger shall be required to fulfil the prescribed standards for medical examination and as of the Driver shall not be more than 50 years on the date of merger. | The Appointing Authority shall, by order, merge the substantially appointed Drivers of Government Departments/ Corporations/ Autonomous Institutions who are attached to the vehicles of the Estate Department in the State Secretariat upto 31.12.2005 under the standards as may be prescribed by him. The employees after such merger shall be on probation for the period prescribed in the relevant rules from the date of order of merger and the driver shall be reverted back to the concerned Department/ Corporation/ Autonomous Institution if his work is not satisfactory during probation. The Driver for the purpose of merger shall be required to fulfil the prescribed standards for medical examination and on 28 January, 2009 the issuing date of the "Uttarakhand State Estate Department Drivers Absorption (Third amendment) Rules, 2009" the Driver shall not be more than 50 years of age. |

( Utpal Kumar Singh )
Secretary